संख्या- 11/2021/2025/बयालिस-2021-01(घोषणा)/2021 टी0सी0

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रधानाचार्य,
गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज,
लखनऊ।

3- प्रधानाचार्य,
वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज,
गोरखपुर।

4- प्रधानाचार्य,
मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस कालेज,
सैफई।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2021**

विषय- स्पोर्टस कालेज एवं स्पोर्टस हॉस्टल में रहने वाले खिलाडियों की डायट मनी में बढोत्तरी एवं उनके डायट मैन्यू में सुधार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 342/मा0मु0मं0घोषणा(छा0 डायटमनी)/2021-22 दिनांक 02.09.2021 एवं जी- 593/मा0मु0मं0घोषणा(छा0 डायटमनी)/2021-22 दिनांक 15.11.2021 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 2922/बयालिस-2014-23(संघ अनुदान)/1999, दिनांक 22.12.2014 के क्रम में श्री राज्यपाल आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को अनुमन्य वर्तमान डाटयमनी रू0 250/- से बढ़ाकर रू0 375/- तथा स्पोर्टस कालेजेज के खिलाडियों की वर्तमान डाटयमनी रू0 200/- से बढ़ाकर रू0 375/- (रू0 तीन सौ पचहत्तर मात्र) भारतीय खेल प्राधिकरण की भॉति प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर बढोत्तरी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- आवासीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व प्रदेशीय/केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण लेने वाले खिलाडियों को आहार दर में हुई वृद्धि के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को खेल निदेशालय द्वारा अपने वार्षिक आय-व्ययक में समाहित किया जायेगा।

3- आवासीय क्रीड़ा छात्रों, केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं विशेष प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सम्बन्ध में परिवर्तित मैन्यू निदेशक, खेल एवं स्पोर्टस कालेजो के सम्बन्ध में परिवर्तित मैन्यू सचिव, प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से जारी किया जायेगा तथा एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जायगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त व्यय अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवा-104-खेलकूद के अन्तर्गत सुसंगत मदों में हुए प्राविधान से वहन किया जाएगा।

5- उक्त संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पंजी संख्या- ई-5-318/दस-2021, दिनांक-29.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 11/2021/2025(1)/बयालिस-2021-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ/गोरखपुर।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
5- नियोजन अनुभाग- 4
6- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।